

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

प्लॉट नं -7, सुल्तान हाउस, सवाई जयसिंह हाईवे, जयपुर -302016

फोन : 0141-4004914 Website: www.rajasthanparamedicalcouncil.org

क्रमांक:- प. 16 ()/काउ.(सत्र 2022-23)/रा.पै.मेडि.कौ/2023/75

दिनांक:- 24/7/23

सार्वजनिक सूचना

वर्ष 2022-23 काउन्सलिंग के "मॉप-अप राउण्ड" हेतु ऑन लाईन राशि जमा करवाने बाबत

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर द्वारा वर्ष 2022-23 की ऑन लाईन काउन्सलिंग के उपरान्त मॉप-अप राउण्ड में उन अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है जिन्होंने प्रवेश हेतु नियमानुसार शुल्क का भुगतान कर ऑन लाईन आवेदन निर्धारित तिथि तक किया है किन्तु 10,000/- रुपये काउन्सलिंग हेतु अग्रिम प्रशिक्षण शुल्क जमा नहीं कराया है।

काउन्सलिंग के मॉप-अप राउण्ड में वे समस्त अभ्यर्थी भी भाग ले सकते हैं, जिन्होंने पूर्व में वर्ष 2022-23 ऑन लाईन काउन्सलिंग में चयन उपरान्त भी अपनी उपस्थिति महाविद्यालय/संस्थान में प्रस्तुत नहीं की है।

उपरोक्त ऐसे इच्छुक अभ्यर्थी यदि काउन्सलिंग के मॉप-अप राउण्ड में शामिल होना चाहते हैं तो वे दिनांक 25.07.2023 से 30.07.2023 तक राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर की वैबसाईट rajasthanparamedicalcouncil.org पर दिये गये लिंक पर क्लिक कर 10,000/- रुपये ऑन लाईन जमा करवाकर मॉप-अप राउण्ड में भाग ले सकते हैं उनको निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार प्रवेश दिया जायेगा।

काउन्सलिंग के मॉप-अप राउण्ड की संभावित दिनांक 07.08.2023 से प्रारम्भ होगी, जिसका विस्तृत विवरण विभागीय वैबसाईट पर उपलब्ध करवा दिया जायेगा।

(कैलाश नारायण मीना)
आर.ए.एस.

रजिस्ट्रार

दिनांक:- 24/7/23

क्रमांक:- प. 16 ()/काउ.(सत्र 2022-23)/रा.पै.मेडि.कौ/2023/75

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है:-

1. श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान् निदेशक (तकनीकी), राजकोम्प (R.I.S.L.), जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. प्रधानाचार्य, समस्त सम्बद्ध पैरामेडिकल राजकीय/निजी महाविद्यालय/संस्थान व समस्त अभ्यर्थियों को सूचनार्थ।
4. परीक्षा अनुभाग/लेखाशाखा/मान्यता शाखा/पंजीयन/विधि/स्टोर कार्यालय हाजा।
5. सर्वररूम प्रभारी, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर को भेजकर लेख है कि आज ही वैबसाईट पर अपलोड करें।
6. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
7. रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार